सं0 सं0–05 / मं0 स0 ज0 शि0 (बैठक)15 / 2013–........80..........

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

प्रभाकर झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव,
बिहार

पटना–15, दिनांक–28/2/2013

विषय : अवमाननावाद (20 एवं 20 से अधिक मामलों) एवं विभागीय पत्रांक–09, दिनांक–07.01.2013 तथा अपर महाधिवक्ता सं0–2 के पत्रांक–301, दिनांक–28.01.13 द्वारा उपलब्ध कराये गये क्रमशः 457 एवं 194 समादेश याचिकाओं में पारित आदेश के अनुपालन सम्बन्धी राज्य स्तरीय Empowered Committee की बैठक।

प्रसंग : इस कार्यालय का पत्रांक–09, दिनांक–07.01.2013, पत्रांक-22, दिनांक–23.01.2013 तथा ज्ञापांक–04 / मं0मं0 न्याय0–01 / 13–73, दिनांक–19.02.13

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विभागीय पत्रांक–09, दिनांक 07.01.2013 के द्वारा मुख्य सचिव, बिहार, पटना के गैर सरकारी प्रेषण संख्या–05 / गो0मु0स0 दिनांक 02.01.2013 द्वारा निर्गत पीत पत्र की छायाप्रति एवं उसके साथ 457 समादेश याचिकाओं की सूची की छायाप्रति संलग्न करते हुए संबंधित मामलों की निष्पादन की अद्यतन स्थिति से एक सप्ताह के अंदर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। साथ ही, श्री देवेन्द्र कुमार सिन्हा, अपर महाधिवक्ता सं0–02, पटना उच्च न्यायालय, पटना के पत्र सं0–301, दिनांक–28.01.2013 के द्वारा उपलब्ध कराये गये 194 समादेश याचिकाओं की सूची, संबंधित विभागों की सूची की छायाप्रति के साथ विभागीय पत्रांक–39, दिनांक–31.01.2013 के द्वारा संबंधित विभागों को भेजते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में अनुपालन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त समादेश याचिकाओं के अनुपालन सम्बन्धी प्रतिवेदन 10 मार्च तक भेजने की कृपा की जाय।

उल्लेख है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तत्सम्बन्धी समीक्षा हेतु दिनांक–15.03.2013 को अपराह्न 04:00 बजे मुख्य सचिवालय स्थित सभा कक्ष में बैठक रखी गयी है। उक्त बैठक में ही अलग से उच्च न्यायालय में दायर अवमाननावाद के अनुपालन के सम्बन्ध में (जिस विभाग में 20 या 20 से अधिक अवमाननावाद लम्बित है) समीक्षा की जायगी।

विश्वासभाजन

27.2.13

(प्रभाकर झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–05 / मं0 स0 ज0 शि0 (बैठक)15 / 2013–......80....... / पटना–15, दिनांक–28/2/2013

प्रतिलिपि मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं सचिव के प्रधान आप्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना एवं आई0 टी0 मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.2.13

(प्रभाकर झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

कृ० पृ०उ० →